रजिस्ट्री सं० डी०ए० ल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2489] नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 31, 2019/श्रावण 9, 1941
No. 2489] NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 31, 2019/SHRAVANA 9, 1941

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 जुलाई, 2019

का.आ. 2737(अ).—जबकि, केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय अन्वेषण अधिनियम, 2008 (2008 का 34) (जिसे इसमें इसके बाद उक्त अधिनियम के रूप में संदर्भित किया गया है) की धारा 11 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खण्ड-3, उप-खण्ड (ii) में प्रकाशित दिनांक 29 अप्रैल, 2011 की अधिसूचना संख्या का.आ. 951(अ) के *तहत* वरिष्ठतम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश का न्यायालय, सिलिगुड़ी को उक्त अधिनियम की धारा-11 की उप-धारा (1) के प्रयोजनों के लिए विशेष न्यायालय के रूप में अधिसूचित किया था जिसका अनुसूचित अपराधों के विचारण हेतु पश्चिम बंगाल राज्य के दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी तथा कूच बिहार के जिलों पर क्षेत्राधिकार होगा;

और जबकि, श्री देबाप्रसाद नाथ, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, प्रथम न्यायालय, सिलिगुड़ी, दार्जिलिंग, जिन्हें भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खण्ड-3, उप-खण्ड (ii) में प्रकाशित दिनांक 12 फरवरी, 2018 की अधिसूचना सं. का.आ. 634(अ) के *तहत* उक्त विशेष न्यायालय की अध्यक्षता करने के लिए न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था, को उक्त न्यायालय से स्थानांतरित कर दिया गया है;

अत: अब, केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय अन्वेषण अधिनियम, 2008 (2008 का 34) की धारा-11 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा दिनांक 12 फरवरी, 2018 की अधिसूचना संख्या का.आ. 634(अ) का अधिक्रमण करते हुए, सिवाय उन कार्यों के जिन्हें ऐसे अधिक्रमण के पूर्व सम्पादित कर लिया गया था अथवा करने से लोप कर दिया गया था, कलकता उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायमूर्ति की सिफारिश पर श्री सुधीर कुमार, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, द्वितीय न्यायालय, सिलिगुड़ी, दार्जिलिंग को उक्त विशेष न्यायालय की अध्यक्षता करने के लिए एतद्वारा न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करती है।

[फा. सं. 11011/02/2019-एनआईए]

पियूष गोयल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th July, 2019

S.O. 2737(E).—Whereas, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the National Investigation Act, 2008 (34 of 2008) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government had, *vide* notification number S.O. 951 (E) dated the 29th April, 2011, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), notified the Court of the Seniormost Additional District and Sessions Judge at Siliguri, as the Special Court for the purposes of sub-section (1) of section 11 of the said Act having jurisdiction within the Districts of Darjeeling, Jalpaiguri and Cooch Bihar of the State of West Bengal for the trial of Scheduled Offences;

And whereas, Shri Debaprasad Nath, Additional District and Sessions Judge, 1st Court, Siliguri, Darjeeling, who was appointed as the Judge to preside over the said Special Court *vide* notification number S.O. 634 (E) dated the 12th February, 2018, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), has been transferred from the said Court;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 11 of the National Investigation Act, 2008 (34 of 2008) and in supersession of the notification number S.O. 634 (E), dated the 12th February, 2018, except in respect of things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government, on the recommendation of the Hon'ble Chief Justice, High Court, Calcutta, hereby appoints Shri Sudhir Kumar, Additional District and Sessions Judge, 2nd Court, Siliguri, Darjeeling, as the Judge to preside over the said Special Court.

[F. No. 11011/02/2019/NIA]

PIYUSH GOYAL, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 जुलाई, 2019

का.आ. 2738(अ).—जबकि, केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय अन्वेषण अधिनियम, 2008 (2008 का 34) (जिसे इसमें इसके बाद उक्त अधिनियम के रूप में संदर्भित किया गया है) की धारा 11 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खण्ड-3, उप-खण्ड (ii) में प्रकाशित दिनांक 01 सितम्बर, 2010 की अधिसूचना संख्या का.आ. 2158(अ) के तहत अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-I का न्यायालय, पटना को उक्त अधिनियम की धारा-11 की उप-धारा (1) के प्रयोजनों के लिए विशेष न्यायालय के रूप में अधिसूचित किया था जिसका अनुसूचित अपराधों के विचारण हेतु पूरे बिहार राज्य पर क्षेत्राधिकार है;

और जबकि, श्री अजीत कुमार सिन्हा, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पटना जिन्हें भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खण्ड-3, उप-खण्ड (ii) में प्रकाशित दिनांक 16 जनवरी, 2019 की अधिसूचना सं. का.आ. 366 (अ) के तहत उक्त विशेष न्यायालय की अध्यक्षता करने के लिए न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था, को स्थानांतरित कर दिया गया है;

अत: अब, केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय अन्वेषण अधिनियम, 2008 (2008 का 34) की धारा-11 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा दिनांक 16 जनवरी, 2019 की अधिसूचना संख्या का.आ. 366(अ) का अधिक्रमण करते हुए, सिवाय उन कार्यों के जिन्हें ऐसे अधिक्रमण के पूर्व सम्पादित कर लिया गया था अथवा करने से लोप कर दिया गया था, पटना स्थित न्याय व्यवस्था के उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायमूर्ति की सिफारिश पर श्री दीपक कुमार, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पटना को उक्त विशेष न्यायालय की अध्यक्षता करने के लिए एतद्वारा न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करती है।

[फा. सं. 11011/02/2019-एनआईए]

पियूष गोयल, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th July, 2019

S.O. 2738(E).—Whereas, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the National Investigation Act, 2008 (34 of 2008) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government had, *vide* notification number S.O. 2158(E) dated the 1st September, 2010, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), notified the Court of the Additional District and Sessions Judge-I, Patna, as the Special Court for the purposes of sub-section (1) of section 11 of the said Act having jurisdiction throughout the State of Bihar for the trial of Scheduled Offences;

And whereas, Shri Ajit Kumar Sinha, Additional District and Sessions Judge, Patna, who was appointed as the Judge to preside over the said Special Court *vide* notification number S.O. 366(E) dated the 16th January, 2019, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), has been transferred;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 11 of the National Investigation Act, 2008 (34 of 2008) and in supersession of the notification number S.O. 366(E), dated the 16th January, 2019, except in respect of things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government, on the recommendation of the Hon'ble Chief Justice, High Court of Judicature at Patna, hereby appoints Shri Deepak Kumar, Additional District and Sessions Judge, Patna, as the Judge to preside over the said Special Court.

[F. No. 11011/02/2019/NIA]

PIYUSH GOYAL, Jt. Secy.

(आंतरिक सुरक्षा–I प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 जुलाई, 2019

का.आ. 2739(अ).—जबकि, केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय अन्वेषण अधिनियम, 2008 (2008 का 34) (जिसे इसमें इसके बाद उक्त अधिनियम के रूप में संदर्भित किया गया है) की धारा 11 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खण्ड-3, उप-खण्ड (ii) में प्रकाशित दिनांक 25 अक्तूबर, 2017 की अधिसूचना संख्या का.आ. 3421(अ) के तहत नगर सिविल न्यायालय तथा अपर सत्र न्यायाधीश, ग्रेटर बंबई, को उक्त अधिनियम की धारा-11 की उप-धारा (1) के प्रयोजनों के लिए विशेष न्यायालय के रूप में अधिसूचित किया था जिसका अनुसूचित अपराधों के विचारण हेतु सम्पूर्ण महाराष्ट्र राज्य पर क्षेत्राधिकार है;

और जबकि, श्री एस. एम. भोसले, नगर सिविल एवं अपर सत्र न्यायाधीश जिन्हें भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग- II, खण्ड-3, उप-खण्ड (ii) में प्रकाशित दिनांक 25 अक्तूबर, 2017 की अधिसूचना सं. का.आ. 3421 (अ) के तहत उक्त विशेष न्यायालय की अध्यक्षता करने के लिए न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था, को स्थानांतरित कर दिया गया है;

अत: अब, केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय अन्वेषण अधिनियम, 2008 (2008 का 34) की धारा-11 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा दिनांक 25 अक्तूबर, 2017 की अधिसूचना संख्या का.आ. 3421(अ) का अधिक्रमण करते हुए, सिवाय उन कार्यों के जिन्हें ऐसे अधिक्रमण के पूर्व सम्पादित कर लिया गया था अथवा करने से लोप कर दिया गया था, बंबई उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायमूर्ति की सिफारिश पर श्री आर.आर. भोसले, न्यायाधीश, नगर सिविल न्यायालय तथा अपर सत्र न्यायाधीश, ग्रेटर बंबई को उक्त विशेष न्यायालय की अध्यक्षता करने के लिए एतद्वारा न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करती है।

[फा. सं. 11011/02/2019-एनआईए]

पियूष गोयल, संयुक्त सचिव

(INTERNAL SECURITY-I DIVISION)

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th July, 2019

S.O. 2739(E).—Whereas, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the National Investigation Act, 2008 (34 of 2008) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government had, *vide* notification number S.O. 3421(E) dated the 25th October, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), notified the City Civil Court and Additional Sessions Judge, Greater Bombay, as the Special Court for the purposes of sub-section (1) of section 11 of the said Act having jurisdiction throughout the State of Maharashtra for the trial of Scheduled Offences;

And whereas, Shri S.M. Bhosle, City Civil and Additional Sessions Judge, who was appointed as the Judge to preside over the said Special Court *vide* notification number S.O. 3421(E) dated the 25th October, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), has been transferred;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 11 of the National Investigation Act, 2008 (34 of 2008) and in supersession of the notification number S.O. 3421 (E) dated the 25th October, 2017, except in respect of things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government, on the recommendation of the Hon'ble Chief Justice, High Court, Bombay, hereby appoints Shri R.R. Bhosle, Judge, City Civil Court and Additional Sessions Judge, Greater Mumbai, as the Judge to preside over the said Special Court.

[F. No. 11011/02/2019/NIA]

PIYUSH GOYAL, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA
Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA
Date: 2019.08.01 19:56:57 +05'30'